फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 286 प्रभात जयपुर, बुधवार 20 मई, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

We Made The Zinc Distillation System

Zawar holds the distinction of being the first centre, producing pure zinc on an industrial scale in the world

Nature's Ornamental Masterpiece

The Quiet Power of Beauty and Memory

तृणमूल कांग्रेस में भारी उथल-पुथल, विभाजन के संकेत मिल रहे हैं

तृणमूल महासचिव और अभिषेक बनर्जी के प्रति भारी नाराज़गी है पार्टी में, जो बड़े घटनाक्रम का कारण बन सकती है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मई। आज बंगाल में हो रहे बदलाव की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस ने फाल्टा विधानसभा सीट से जहाँगीर खान को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे अब सार्वजनिक रूप से गायब बताए जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे।

लेकिन, चूँकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख निकल जाने के बाद उन्होंने यह फैसला किया है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया में उनका नाम उम्मीदवार के रूप में बना रहेगा।

उम्मीदवार जहांगीर खान ने पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को फोन पर इसकी जानकारी देने की कोशिश की। लेकिन बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने उनकी कॉल्स नहीं उठाई। पार्टी के ऊपरी स्तर से लेकर निचले स्तर तक, अभिषेक के खिलाफ नाराज़गी बढ़ती जा रही है।

- नाराज़गी का आलम यह है कि कोलकाता नगर निगम में जब हरीश मुखर्जी स्ट्रीट में स्थित अभिषेक के आलीशान घर को तोड़ने के नोटिस जारी किए गए तो तृणमूल पार्षदों ने इसका विरोध तक नहीं किया, जबकि निगम में तृणमूल पार्षदों का बहुमत है।
- कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने भी इस पर टिप्पणी से इन्कार कर दिया और यहाँ तक कि अभिषेक की प्रॉपर्टी बचाने की कोशिश तक नहीं की।
- फाल्टा सीट, जहाँ उपचुनाव में जहाँगीर खान तृणमूल प्रत्याशी हैं, ने चुनाव प्रचार से खुद को दूर कर लिया और अब तो चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा भी कर दी है। हालांकि, उन्होंने नाम वापस लेने की तारीख के बाद चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की, इसलिए वे अधिकृत रूप से तो अभी भी चुनाव मैदान में हैं।
- तृणमूल के कई नेता, कार्यकर्ता अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मुखर होने लगे हैं।

कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी में दो फाड़ हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता अब खुलकर महासचिव का बचाव करने से बच रहे हैं।

कोलकाता नगर निगम में पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से अभिषेक बनर्जी के हरीश मुखर्जी स्ट्रीट स्थित आलीशान घर को गिराने के नोटिस का समर्थन किया है। इसे कोलकाता नगर निगम क संभावित बड़े घटनाक्रम की झलक माना जा रहा है।

कोलकाता नगर निगम में तृणमूल कांग्रेस के 144 पार्षद हैं, लेकिन किसी ने भी अभिषेक बनर्जी के घर को तोड़े जाने के लिए जारी नोटिस का विरोध

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महेश जोशी, सुबोध अग्रवाल की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ी

जयपुर, 19 मई। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े एसीबी केस में आरोपी, पूर्व मंत्री महेश जोशी, पूर्व एसीएस सुबोध अग्रवाल सहित 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि वीसी के जरिए एक जून तक बढ़ा दी। जिन अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है उनमें दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सैना, अरुण श्रीवास्तव, डीके गौड, महेंद्र प्रकाश सोनी, मुकेश पाठक, निरिल कुमार एवं संजय बडाया शामिल हैं। वहीं मामले में फरार अन्य आरोपी जितेन्द्र शर्मा, मुकेश गोयल एवं

- जल जीवन मिशन घोटाला मामले में 11 अन्य आरोपियों की भी हिरासत अवधि बढ़ी।

संजीव गुप्ता को कोर्ट ने भगोडा घोषित कर रखा है।

इस मामले में एसीबी ने प्रारंभिक जांच करने के बाद 30 अक्टूबर 2024 को केस दर्ज किया था। गौरतलब है कि साल 2021 में जल जीवन मिशन के तहत श्री श्याम ट्यूबवेल व श्री गणपति ट्यूबवेल के संचालकों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिखाकर करोड़ों रुपए के टेंडर लिए थे। घोटाला सामने आने पर एसीबी ने मामले की जांच शुरू की थी और बाद में ईडी ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में निर्माण भवन ध्वस्त और अब उद्योग भवन की बारी

सैंट्रल विस्टा रीकंस्ट्रक्शन प्लान जारी रहेगा, बिना किसी अवरोध के

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मई। निर्माण भवन को ध्वस्त कर दिया गया है और केन्द्र सरकार इससे लगे हुए उद्योग भवन को भी ध्वस्त करने की तैयारी में है। यह कदम 13,169 करोड़ के सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण योजना का हिस्सा है।

समाचार रिपोर्टों में नीति आयोग के अधिकारियों का हवाला देते हुए पिछले सप्ताह बताया गया था कि केन्द्र सरकार के थिंक टैंक ने मंत्रालयों को, पश्चिम एशिया युद्ध के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट को देखते हुए, पुनर्निर्माण योजना को दो साल के लिए रोकने की सलाह दी थी। लेकिन आयोग ने इस तरह की किसी सलाह से इनकार किया।

- हाल ही में नीति आयोग के अफसरों के हवाले से खबर आई थी कि आयोग ने मंत्रालयों को सलाह दी है कि पश्चिम एशिया के वॉर को देखते हुए दो साल के लिए निर्माण कार्य रोक दिए जाएं। पर आयोग ने कहा, उसने ऐसी कोई सलाह नहीं दी।
- यह प्रोजैक्ट 2019-20 से शुरु हुआ था और कोविड-19 प्रतिबंधों के दौरान भी जारी रहा था, इसके तहत 1950-60 के दशक की इमारतों को तोड़कर नई इमारतें बनाई जा रही हैं।
- विपक्ष ने इसे दिल्ली की विरासत से खिलवाड़ बताया, वहीं कुछ एनजीओ ने पेड़ों की कटाई पर विरोध जताया। प्रोजैक्ट पर रोक के लिए कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं।

विपक्षी नेताओं, पर्यावरणविदों, शहरी योजनाकारों और गैर-सरकारी संगठनों ने इस योजना को "अहंकार परियोजना बताया है, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष विरासत को कमज़ोर करके राष्ट्रीय पहचान को एक विशेष वैचारिक दिशा में ले जाना है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के अनुसार, यह योजना दिल्ली के हरित आवरण (ग्रीन कवर) को 23 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगी। इसके अलावा, इंदिरा गांधी नैशनल सेन्टर फॉर द आर्ट्स (आईजीएनसीए), राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार जैसे हेरिटेज भवनों के ध्वंस/रूप परिवर्तन पर भी चिंता व्यक्त की गई है। बावजूद इसके, 2019-20 में शुरू की गई यह परियोजना लगातार जारी है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी यह रुकी नहीं थी।

केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही इस योजना के तहत 1950-1960 के दशक में बने केन्द्रीय सरकारी भवनों को ध्वस्त

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं को "रिवाइव" किया और अपने ही पूर्व आदेश को रद्द कर दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में हिंदू मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के प्रशासन को नियंत्रित करने वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह को पुनर्जीवित किया।

न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और एस. सी. शर्मा की पीठ ने कहा कि वह इन याचिकाओं की सुनवाई करेगी, जिनमें से पहली याचिका 2012 में दिवंगत स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दायर की गई थी। इनकी सुनवाई 24 जुलाई से शुरू होगी।

पिछले साल याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने

- गत वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका दायर करने वालों को संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट में अपील करने के निर्देश दिए थे।
- जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एस सी शर्मा की बैंच ने जिन याचिकाओं को रिवाइव किया है, उनमें से एक 13 साल पुरानी है, जो वर्ष 2012 में दायर की गई थी।
- ये याचिकाएं तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एण्ड चैरिटेबल एन्डाओमैंट्स एक्ट, 1959 तथा पड्डुचेरी एक्ट 1932 और आँध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस एन्डाओमैंट्स एक्ट के खिलाफ दायर की गई हैं।

नोट किया कि ये याचिकाएँ कई राज्यों के हिंदू धार्मिक संस्थान और चैरिटेबल एंडोमेंट्स अधिनियम को चुनौती देती हैं और कहा कि उच्च न्यायालयों को पहले इन याचिकाओं की सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्थानीय मुद्दे शामिल हो सकते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पीडब्ल्यूडी के 3 अधिशासी अभियंता घटिया सड़क निर्माण में गिरफ्तार

जयपुर, 19 मई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कोटा इकाई ने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग कर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के तीन तत्कालीन अधिशासी

- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने यह कार्यवाही 2013 में दर्ज प्रतापगढ़ जिले के मामले में की।

अभियंताओं और एक संवेदक को गिरफ्तार किया है। आरोपितों को मंगलवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय प्रतापगढ में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

एसीबी रेंज कोटा प्रभारी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लेवापाडा, हीरापाडा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लाहौर में रहमान गली फिर राम गली बनी और इस्लामपुरा बना कृष्णा नगर

आठ दशक बाद लाहौर की गलियों का उनके पुराने हिंदू नाम लौटाए जा रहे हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मई। यह बदलाव पाकिस्तान के पंजाब की सरकार की एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसे लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल प्रोजेक्ट कहा जाता है। अधिकारियों के अनुसार, यह प्रयास दशकों की उपेक्षा, अव्यवस्थित विकास और वैचारिक पुनर्लेखन के बाद सांस्कृतिक राजधानी को विभाजन पूर्व की पहचान में लौटाने का है।

विभाजन के लगभग आठ दशक बाद, लाहौर की सड़कों ने चुपचाप वे नाम छोड़ दिए हैं जो बाद के वर्षों में उन्हें दिए गए थे और पुराने नामों पर लौट रही हैं। "इस्लामपुरा" फिर से "कृष्ण नगर" बन गया है। "बाबरी मस्जिद चौक" वापस "जैन मंदिर चौक" हो गया है। रहमान गली अब फिर से राम गली हो गई है। पिछले दो महीनों में, शहर के कम से कम नौ स्थानों के नाम

- यह बदलाव असल में पाकिस्तान के पंजाब की सरकार के लाहौर एरिया रिवाईवल प्रोजैक्ट के तहत किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य लाहौर को उसके विभाजन से पहले वाला ऐतिहासिक स्वरुप लौटाना है और इसलिए सभी जगहों को उनके विभाजन से पहले वाले नाम दिए जा रहे हैं।
- पाकिस्तानी सूत्रों के अनुसार, यह प्रोजैक्ट पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ के दिमाग की उपज है, जिसे उनकी बेटी मरियम नवाज़ पूरा कर रही हैं, जो अभी पंजाब की मुख्यमंत्री हैं।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कवायद का कट्टरपंथी तत्वों द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है और पाकिस्तानी हुक्मरान इसे बदलाव की लहर के रूप में प्रचारित कर रहे है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सारी कवायद दुनिया की "गुडविल" कमाने के लिए दिखावा मात्र है?

औपचारिक रूप से बदल दिए गए हैं, और कई और स्थान इस प्रक्रिया में हैं।

ये बदलाव पंजाब सरकार की व्यापक पहल का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक राजधानी को उसके विभाजन पूर्व की पहचान में पुनः स्थापित करना है।

बदलाव गहरे हैं। सुन्नत नगर अब संत नगर बन गया है। मौलाना जफर अली खान चौक फिर से लक्ष्मी चौक बन गया है। मुस्तफाबाद लौटकर धरमपुरा हो गया है। उपनिवेश कालीन नाम भी वापस लाए जा रहे हैं। फातिमा जिन्ना रोड अब फिर से क्वीन्स रोड हो गई है, अल्लामा इकबाल रोड को जेल रोड, और बाग-ए-जिन्ना को उसका पुराना नाम लॉरेन्स गार्डन दिया जा रहा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'ग्रेट निकोबार बायोरिजर्व को ध्वस्त किया जा रहा है'

नई दिल्ली, 19 मई। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार व्यावसायिक हितों से

- कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा वर्ष 2013 में ग्रेट निकोबार को युनेस्को के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया था।

प्रेरित परियोजना के लिए ग्रेट निकोबार जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र को ध्वस्त कर रही है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रिपब्लिकन पार्टी में राजनैतिक अस्तित्व की एकमात्र शर्त है ट्रंप के प्रति वफादारी

रिपब्लिकन पार्टी के स्वरूप में यह भारी बदलाव है, पूर्व में रिपब्लिकन नेता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होते थे

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मई। डॉनल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पर पकड़ अब एक नए और निर्णायक दौर में पहुंच गई है। इसका ताजा शिकार बने हैं लूसियाना के सिनेटर बिल कैसिडी, जिनका राजनीतिक पतन अब उन सभी रिपब्लिकन नेताओं के लिए चेतावनी बन गया है, जो अभी भी ट्रंप को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं।

कैसिडी की राजनीतिक "गलती" पांच साल पहले की है, जब उन्होंने 6 जनवरी को अमेरिकी संसद भवन कैपिटल पर हुए हमले के मामले में ट्रंप के दूसरे महाभियोग ट्रायल के दौरान उन्हें दोषी ठहराने के पक्ष में वोट दिया था। पिछले हफ्ते ट्रंप ने बदला लेते हुए कैसिडी के खिलाफ प्राइमरी चुनाव में एक प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार का समर्थन किया। इसके साथ ही, कैसिडी ऐसे पहले रिपब्लिकन सीनेटर बन गए, जिन्हें महाभियोग वाले वोट की वजह से प्राइमरी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ट्रंप का विरोध करने वाले अन्य रिपब्लिकन नेता, जैसे मिट रोमनी और थॉम टिलिस ने पहले ही टकराव से बचने के लिए राजनीति से संन्यास लेने का रास्ता चुन लिया था।

संदेश बिल्कुल साफ है: रिपब्लिकन पार्टी के भीतर अब असहमति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कैसिडी की हार से पहले ट्रंप उन रिपब्लिकन नेताओं को भी किनारे लगा

- जिन नेताओं ने कभी भी ट्रंप का विरोध किया था, असहमति जताई थी, उन सभी का ट्रंप एक के बाद एक राजनैतिक रूप से खत्म कर रहे हैं।
- नवीनतम निशाना हैं, लूसियाना के सिनेटर बिल कैसिडी। जिनके प्राइमरी चुनाव में ट्रंप ने इनके खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर इन्हें पराजित करवा दिया, उनकी गलती थी कि उन्होंने पाँच साल पर अमेरिकी संसद भवन कैपिटल हिल पर हुए हमले के मामले में ट्रंप पर चले महाभियोग में ट्रंप के खिलाफ वोट दिया था।
- यही नहीं ट्रंप का विरोध कर चुके कुछ नेता तो इसी तरह की कार्यवाही के भय से राजनीति छोड़ चुके हैं।
- संकेत साफ है कि अगर रिपब्लिक पार्टी में राजनैतिक अस्तित्व बचाना है तो ट्रंप की हाँ में हाँ मिलानी ही होगी।

चुके हैं, जिन्होंने उनका विरोध किया था। इनमें वायोमिंग की पूर्व प्रतिनिधि लिज़ चेनी भी शामिल हैं। ट्रंप का अगला निशाना हैं कैन्टकी के सांसद थॉमस मैसी, जिन्होंने ट्रंप की खर्च संबंधी नीतियों की आलोचना की थी, ईरान में अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाए थे और एप्स्टीन फाइल्स जारी करने की मांग की थी। अब उन्हें भी कैन्टकी की रिपब्लिकन प्राइमरी में ट्रंप समर्थित उम्मीदवार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

ट्रंप का प्रभाव सिर्फ वॉशिंगटन तक सीमित नहीं है। इंडियाना में कई रिपब्लिकन राज्य विधायकों ने ट्रंप समर्थित निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन योजना का समर्थन करने से इनकार किया था, जिसके बाद वे हाल के प्राइमरी चुनावों में हार गए। पूरी पार्टी में अब ट्रंप के प्रति वफादारी ही राजनीतिक अस्तित्व की सबसे बड़ी शर्त बन चुकी है।

हार स्वीकार करने वाले अपने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल में नीट पुर्नपरीक्षा करायें -धर्मेन्द्र प्रधान

नई दिल्ली, 19 मई। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, सुरक्षा तथा निष्पक्षता के

- शिक्षा मंत्री ने जिला मजिस्ट्रेटों व पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठक करने के निर्देश दिये।

साथ आयोजित कराने के निर्देश दिए।

बैठक में शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में जो भी कमियां सामने आई थीं, उन्हें पूरी तरह दूर किया जाना चाहिए, ताकि पुनर्परीक्षा का संचालन त्रुटिरहित और विश्वसनीय तरीके से हो सके। उन्होंने अधिकारियों को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षित, निर्बाध और फुलप्रूफ परीक्षा कराने के निर्देश दिए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)